

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या

:- 66/2019

शीर्षक

1. धन्नाराम पुत्र गोकुल चन्द, उम्र व्यस्क, जाति माली निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. श्रीमति विमला देवी पत्नी राजेश कुमार, उम्र व्यस्क, जाति बलाई निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. राजेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण उम्र व्यस्क, जाति बलाई निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. कमली देवी पत्नी श्री मोतीलाल उम्र व्यस्क, जाति बलाई निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4. मोतीलाल पुत्र स्व० बोदूराम उम्र व्यस्क, जाति बलाई निवासी साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 12.10.2021

अतः दावा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 574/0.02, 572/0.22 है०, वाकै ग्राम साईवाड तह० शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पेदा नहीं करे।

निर्णय आज तारीख 12.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	